प्ररूप सं. 28क

[नियम 39 *देखिए*]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 210(3)/210(4) के अधीन अग्रिम कर के संदाय के लिए अधिनियम की धारा 156 के अधीन मांग की सूचना के संबंध में धारा 210(5) के अधीन निर्धारण अधिकारी को सूचना

सेवा में, तारीख .....

निर्धारण अधिकारी,

.....

.....

महोदय

निर्धारण वर्ष ..... के लिए ..... के मामले में आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 210(3)/210(4) के अधीन आय-कर के संदाय के लिए अधिनियम की धारा 156 के अधीन मांग की सूचना के बारे में,

आय-कर अधिनियम की धारा 156 के अधीन अग्रिम कर के संदाय के लिए मांग की सूचना और अधिनियम की धारा 210(3)/210(4) के अधीन, तारीख ....., के आदेश की मुझे तारीख ..... को तामील की गई है।

(सूचना की तामील की तारीख)

2. मैं एतद्द्वारा यह संसूचना देता हूं कि आपके द्वारा तैयार किया गया और प्ररूप सं. 28 के संलग्नक में अन्तर्विष्ट आय और संदेय अग्रिम कर, का प्राक्कलन निम्नलिखित कारणों से अधिक है :–

(*i*) प्ररूप सं. 28 में दर्शित संगणना में गणित संबंधी गलती है।

(*ii*) निर्धारण वर्ष ..... के लिए निर्धारित आय की बाबत आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 154 के अर्थान्तर्गत अभिलेख की स्पष्ट गलती है, जिसके लिए ..... को आवेदन फाइल किया गया है/फाइल किया जा रहा है।

(*iii*) चालू वर्ष में "पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन हानि हुई है/कोई आय नहीं हुई है।

(*iv*) चालू वर्ष में धारा 2(24)(*ix*) में निर्दिष्ट प्रकृति की कोई आय नहीं हुई है।

(*v*) कोई अन्य कारण (कारण विनिर्दिष्ट करते हुए)

3. ऊपर पैरा 2 में उल्लिखित कारणों को ध्यान में रखते हुए निर्धारण वर्ष ..... से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए आय का प्राक्कलन निम्नानुसार है :–

(*1*) "वेतन" से आय .....

(*2*) पूंजी अभिलाभ से आय .....

(*3*) गृह संपत्ति से आय .....

(*4*) कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ : .....

(*क*) मेरे/हमारे द्वारा किए जा रहे कारबार और वृत्ति के लाभ और अभिलाभ

	नाम	पता	
(*i*)	.....	.....	.....
(*ii*)	.....	.....	.....

(*ख*) फर्म (फर्मों) से अंश :

फर्म का नाम	*पता*	*क्या फर्म को पिछले संपूरित निर्धारण में रजिस्ट्रीकृत किया गया है*	*आय का अंश*

(*ग*) व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की आय .....

योग : (क) + (ख) + (ग)

(*5*) अन्य स्रोतों से आय :

(*i*) लाभांश .....

(*ii*) ब्याज .....

(*iii*) अन्य आय [जिसके अंतर्गत धारा 2(24)(*ix*) में निर्दिष्ट आय भी है] .....

योग

उपमद (1) से (5) का योग

घटाएं :

(*i*) मुजरे के लिए पात्र अग्रनीत हानियां, आदि .....

(*ii*) अध्याय 6क के अधीन अनुज्ञेय कटौतियां .....

1. अग्रिम कर के अधीन रहते हुए आय

2. प्राक्कलित शुद्ध कृषि आय .....

3. अग्रिम कर के अधीन रहते हुए आय पर प्रभार्य सकल आय-कर .....

4. अग्रिम कर के अधीन रहते हुए आय में सम्मिलित राशियां, जिनकी बाबत ऐसा कोई कर संदेय नहीं है, जिस पर कि कर का रिबेट अनुज्ञेय है :

(*i*) किसी अरजिस्ट्रीकृत फर्म से आय का अंश, जिस पर कर फर्म द्वारा संदत्त किया जाएगा। .....

(*ii*) किसी व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय से अंश, जिस पर कर संगम या निकाय द्वारा संदत्त किया जाएगा। .....

(*iii*) आय-कर से मुक्त प्रतिभूतियों पर ब्याज .....

(*iv*) अन्य मदें .....

कुल रकम, जिस पर कर संदेय नहीं है और ऐसी आय पर अनुपातिक कर .....

5. 3 की 4 से अधिक राशि .....

6. *कटौती करें :* किसी आय पर (अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय कोई कटौती अनुज्ञात करने से पूर्व यथासंगणित) धारा 192 से 195 के अधीन कटौती-योग्य कर की रकम और जिसे अग्रिम कर के अधीन रहते हुए आय की संगणना करने में हिसाब में लिया गया है। .....

7. आय-कर की शुद्ध रकम .....

8. *घटाएं :* प्राक्कलित दुगुनी आय-कर राहत, यदि कोई हो, के मद्दे रकम .....

9. संदेय शुद्ध रकम .....

10. घटाएं :

(*i*) धारा 210 के अधीन वित्तीय वर्ष में पहले से संदत्त कर .....

11. संदेय अतिशेष .....

स्थान : ....

तारीख : ..... *प्राक्कलन करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर*

.....

प्रास्थिति

सेवा में,

आय-कर अधिकारी

.....

टिप्पण :

1. आय के प्राक्कलन पर उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए, जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 140 में उपबंधित रूप में आय की विवरणी पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत है।

2. किसी रजिस्ट्रीकृत फर्म की दशा में, फर्म को वार्षिक वित्त अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग 3 के अनुसार उसके द्वारा संदेय अग्रिम कर का, यदि कोई हो, प्राक्कलन प्रस्तुत करना होगा। प्रत्येक भागीदार को भी संदेय अग्रिम कर का प्राक्कलन प्रस्तुत करना होगा जिसमें रजिस्ट्रीकृत फर्म में आप का अंश भी सम्मिलित हो।

3. किसी निर्धारिती की दशा में, जो ऐसा हिन्दू अविभक्त कुटुंब है, जिसका ऐसा कोई सदस्य नहीं है जिसकी कि पूर्ववर्ष की कुल आय की, उसके मामले में उस अधिकतम आय से अधिक होने की संभावना है, जो आय-कर से प्रभार्य नहीं है, कृपया सभी सदस्यों से इस आशय की घोषणा (घोषणाएं) संलग्न करें।

4. मद 2 केवल व्यष्टियों, हिंदू अविभक्त कुटुंबों, अरजिस्ट्रीकृत फर्मों, अन्य व्यक्ति-संगमों या व्यष्टि-निकायों, चाहे वे निगमित हो या नहीं, जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (*v*) में निर्दिष्ट हैं और उक्त खंड (31) के उपखंड (*vii*) में निर्दिष्ट कृत्रिम विधिक व्यक्तियों द्वारा भरा जाना है।

5. इस प्ररूप में 'शुद्ध कृषि आय' का वही अर्थ है, जो सुसंगत वित्त अधिनियम में उसका है।

6. इस प्ररूप के पैरा 2 में निर्दिष्ट निर्धारण अधिकारी के आदेश में गणित संबंधी गलती, यदि कोई हो, के ब्यौरे उपाबद्ध किए जा सकते हैं।